



| दिनांक | आदेश | अभ्युक्ति |
|---------------|--|-----------|
| 05-02 2021 | <p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक आशोक कुमार दास, पिता/पति - स्व० हरि दास, ग्राम- टुंगरी, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना नं०- 580, खाता न०- 130, प्लॉट न०- 06, रकवा- 0.02$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि क्रेता बबलू निषाद, पिता/पति- रामेश्वर राम निषाद, ग्राम- गुटूसाई, थाना- मुफ्फसिल, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (बी) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं० 207/R 27/2020-21, दिनांक 30.08.2020 द्वारा नामान्तरित होकर है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1341, दिनांक 30.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। गृह निर्माण हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता बबलू निषाद, पिता/पति- रामेश्वर राम निषाद, ग्राम- गुटूसाई, थाना- मुफ्फसिल, के पास 46,000.00/- (छियालिस हजार रुपये) मात्र। में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है। उक्त पिछड़ी जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 2.50 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता आशोक कुमार दास, पिता/पति- स्व० हरि दास, ग्राम- टुंगरी, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- टोन्टो, थाना नं०- 580, खाता न०- 130, प्लॉट न०- 06, रकवा- 0.02$\frac{1}{2}$ एकड़, भूमि को क्रेता बबलू निषाद, पिता/पति- रामेश्वर राम निषाद, ग्राम- गुटूसाई, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (बी) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की दी जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> | |